# भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल म.प्र. ।

म.प्र. शिक्षा संहिता अध्याय 20 नियम 125 के अंतर्गत स्काउट/गाइड निधि का निर्माण

1. छात्रों से ली जाने वाली शुल्क जो शाला में एकत्रित होगी जो स्काउट निधि कहलायेगी ।

01. कक्षा 03 से 05 तक - रूपये 02 प्रति छात्र प्रति वर्ष
02. कक्षा 06 से 08 तक - रूपये 06 प्रति छात्र प्रति वर्ष
03. कक्षा 09 से 12 तक - रूपये 10 प्रति छात्र प्रति वर्ष

2. शाला द्वारा जमा की जाने वाली राशि का विवरण
(विद्यालयों से प्रतिदल ली जा रही स्काउट एवं गाइड पंजीयन राशि का विवरण)

## प्राथमिक कक्षा 03 से 05 तक

माना कि छात्र संख्या 100 है ।

| | | |
|---|---|---|
| फीस100 X 2/- | = | 200.00 |
| 200 का 5 प्रतिशत अंश दान | = | 10-00 |
| पंजीयन( रजिस्ट्रेशन फीस) छात्र संख्या 16 छात्र है ।) | = | 08-00 (न्यूनतम प्रतिदल |
| कोटमनी(व्यक्तिगत शुल्क) 16X 4 | = | 64.00 प्रति दल |
| शिक्षक शुल्क(व्यस्क कोटमनी) 12 | = | 12.00 |
| | | --- |
| | | 94-00 |
| | | --- |

विद्यालय में शेष राशि
200-94= 106-00
106 रूपये स्काउट-गाइड निधि विद्यालय की होगी तथा 94 रूपये जिला, संभाग तथा मुख्यालय में जमा होती है ।

## मिडिल कक्षा 06 से 08 तक

माना कि छात्र संख्या 100 है ।

| | | |
|---|---|---|
| फीस 100 X 8/- | = | 800.00 |
| 800 का 5 प्रतिशत अंश दान | = | 40-00 |
| पंजीयन( रजिस्ट्रेशन फीस) छात्र संख्या 24 छात्र है ।) | = | 25-00 (न्यूनतम प्रतिदल |
| कोटमनी(व्यक्तिगत शुल्क) 24X 7 | = | 168.00 प्रति दल |
| शिक्षक शुल्क(व्यस्क कोटमनी) 12 | = | 12.00 |
| | | 245-00 |

विद्यालय में शेष राशि
800-245= 555-00
555 रूपये स्काउट-गाइड निधि विद्यालय की होगी तथा 245 रूपये जिला, संभाग तथा मुख्यालय में जमा होती है ।

## हाईस्कूल 09 से 10 तक

माना कि छात्र संख्या 100 है ।

| | | |
|---|---|---|
| फीस100 X 10/- | = | 100.00 |
| 1000 का 5 प्रतिशत अंश दान | = | 50-00 |
| पंजीयन( रजिस्ट्रेशन फीस) छात्र संख्या 24 छात्र है ।) | = | 25-00 (न्यूनतम प्रतिदल |
| कोटमनी(व्यक्तिगत शुल्क) 24X 7 | = | 168.00 प्रति दल |
| शिक्षक शुल्क(व्यस्क कोटमनी) 12 | = | 12.00 |
| | | --- |
| | | 255-00 |
| | | --- |

विद्यालय में शेष राशि
1000-255= 745-00
745 रूपये स्काउट-गाइड निधि विद्यालय की होगी तथा 255 रूपये जिला, संभाग तथा मुख्यालय में जमा होती है ।

## हायरसेकेंडरी 10 से 12 तक

माना कि छात्र संख्या 100 है ।

| | | |
|---|---|---|
| फीस100 X 10/- | = | 1000.00 |
| 1000 का 5 प्रतिशत अंश दान | = | 50-00 |
| पंजीयन( रजिस्ट्रेशन फीस) छात्र संख्या 24 छात्र है ।) | = | 30-00 (न्यूनतम प्रतिदल |
| कोटमनी(व्यक्तिगत शुल्क) 24X 7 | = | 168.00 प्रति दल |
| शिक्षक शुल्क(व्यस्क कोटमनी) 12 | = | 12.00 |
| | | --- |
| | | 260-00 |
| | | --- |

विद्यालय में शेष राशि
1000-260= 740-00
740 रूपये स्काउट-गाइड निधि विद्यालय की होगी तथा 260 रूपये जिला, संभाग तथा मुख्यालय में जमा होती है ।

### शाला से प्राप्त अंशदान /दल पंजीयन राशि का विभाजन चार्ट

उदाहरण के लिए शाला की वार्षिक आय रू.1000=00 पर विभाजन एव दल पंजीयन इस प्रकार है

## अंशदान का विभाजन

1. 5 % अंशदान रू. 50 जिले से प्राप्त राशि का विभाजन इस प्रकार है ।

| 50/– रू. मे से विभाजन | 0 % विकास खंड 0/– रू. | 20 % जिला संघ 10/– रू. | 20 % संभाग.को 10/– रू. | 60 % राज्य को 30/– रू. | कुल 50=00 रूपये |
|---|---|---|---|---|---|

## पंजीयन शुल्क का विभाजन

2. विकास खंड पर प्राप्त दल पंजीयन राशि 8/– रूपये का विभाजन

| कब / बुलबुल | 0 % विकास खंड 0/– रू. | 0 % जिला संघ 0/– रू. | 0 % 0/– रूपये | 100 % राज्य को 8/– रू. | कुल 8=00रूपये |
|---|---|---|---|---|---|

3. विकास खंड पर प्राप्त दल पंजीयन राशि 25/– रू. का विभाजन

| स्काउट–गाइड | 8 % विकास खंड 2/– रू. | 12 % जिला संघ | 8 % संभाग को 2/– रू. | 72 % राज्य को 18/– रू. | कुल 25=00रू. |
|---|---|---|---|---|---|

4. विकास खंड पर प्राप्त दल पंजीयन राशि 30/– रू. का विभाजन

| रोवर–रेंजर | विकास खंड 2/– रू. | जिला संघ को 2/– रू. | संभाग को 1/– रू. | राज्य को 25/– रू. | कुल 30=00 रू. |
|---|---|---|---|---|---|

## कोटमनी का विभाजन

5. विकास खंड पर प्राप्त कोटमनी राशि 04/– रू. का विभाजन

| कब–बुलबुल | 7 % वि.खं. को 0.25 पैसे. | 13 % जिला संघ 0. 50 पैसे | 6 % संभाग 0.25 पैसे | 71 % राज्य को 3/– रू. | कुल 04=00रू. |
|---|---|---|---|---|---|

6. विकास खंड पर प्राप्त कोटमनी राशि 07/– रू. का विभाजन

| स्काउट–गाइड रोवर–रेंजर | 7 % वि.खं. को 0.50 पैसे. | 15 % जिला संघ 1/– रू. | 7 % संभाग 0.50 पैसे | 71 % राज्य को 5/– रू. | कुल 07=00रू. |
|---|---|---|---|---|---|

7. विकास खंड पर प्राप्त शिक्षक की कोटमनी राशि 12/– रू. का विभाजन

| प्रशिक्षक शुल्क प्रतिदल | 0 % वि.खं. को 0 /– रू. | 0 % जिला संघ 0/– रू. | 0 % संभाग 0/– रू. | 100 % राज्य को 12/– रू. | कुल 12=00रू. |
|---|---|---|---|---|---|

भारत स्काउट एवं गाइड माध्यमदेश
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल म.प्र.
दलों से लिये जाने वाले शुल्क का विभाजन

आदेश क्र. १२४५/एस/सेवी/ २००१ दिनांक 01.08.2001

| क्रमांक | विवरण | स्थानीय मुख्य एवं व्यवस्थ विभाजन राशि | राज्य मुख्यालय सेवी भत्ता (रुपये) | संभागीय मुख्यालय सेवी भत्ता (रुपये) | जिला मुख्यालय सेवी भत्ता (रुपये) | विकास खंड सेवी भत्ता (रुपये) | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अ | कोटमनी शुल्क | | | | | | |
| 1 | स्काउट/गाइड | **10.00** | 8.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | **10.00** |
| 2 | रोवर/रेंजर | **10.00** | 8.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | **10.00** |
| 3 | कब / बुलबुल | **5.00** | 4.00 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | **5.00** |
| 4 | प्रशिक्षण (दलदल) | **15.00** | 15.00 | _ | _ | _ | **15.00** |
| ब | दलसेवीकर/जोनीकरण | | | | | | |
| 1 | कब / बुलबुल | **10.00** | 9.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | **10.00** |
| 2 | स्काउट / गाइड | **30.00** | 22.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | **30.00** |
| स | संस्थागत | | | | | | |
| 1 | रोवर /रेंजर | **40.00** | 32.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | **40.00** |
| | स्थापना | | | | | | |
| | कब/बुल/स्का/गा/रो/रे | **5.00** | 5.00 | _ | _ | _ | **5.00** |
| द | 5 प्रतिशत आवधा वृद्धि | **5-00%** | 3% | 1% | 1% | _ | **5-00%** |

नोट: उक्त दरें वर्ष 2005-2010 की 10 वर्ष तक लागेन रहेगी ।

राज्य कमिश्नर